<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवाबगंज बरेली।</u>

उपस्थित: अरूण गौतम (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

JO Code-3520

फौजदारी वाद संख्याः–801/2019

CNR No.UPBR30001800-2019

उ0प्र0 राज्य.....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. मो0 तालिब पुत्र अब्दुल बशीर
2. अब्दुल बशीर पुत्र मुंशी
3. फातिमा बेगम पत्नी अब्दुल बशीर

निवासीगण–ग्राम खमडिया खड़ा रामनगर, थाना देवरनियां बरेली।

.....अभियुक्तगण।

मु0अ0सं0–415/2017
अंतर्गत धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0,
थाना–नवाबगंज, जिला–बरेली।

<u>निर्णय</u>

1. थाना–नवाबगंज, जिला बरेली की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण **मो0 तालिब, अब्दुल बशीर व फातिमा बेगम** के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–415/2017, अतर्गत धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती अफसाना द्वारा थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसका विवाह दिनांक 22.12.2016 को मो0 तालिब के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी, शादी के कुछ समय उसके ससुराल वाले ससुर अब्दुल बशीर, सास फातिमा बेगम व नन्द फूल बी व जेठ आरिफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और दहेज में एक लाख रूपये मांग करने लगे और आये दिन उसके साथ गालौज कर मारपीट करने लगे।
3. वादिनी मुकदमा की उक्त लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 415/2017, धारा 498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0, पंजीकृत कर बाद तमामी विवेचना व विवेचक द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र अंतर्गत धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0, विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा विधिवत् अपनी जमानत करायी गयी।
4. अभियुक्तगण न्यायालय हाजिर आया। अभियुक्तगण को अभियोजन अभिलेखों की नकलें प्रदान की गई। तदुपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0, के अपराध के तहत आरोप विरचित किये गये, जो उन्हें पढ़कर सुनाये तथा समझाये गये। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा विचारण की याचना की गई।
5. अभियोजन पक्ष की ओर से लिखित साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा श्रीमती अफसाना व पी0डब्लू0 2 इस्तियाक अहमद को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। तदोपरान्त अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन अभिलेखों की औपचारिक सत्यता को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–294 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया, जिसपर नियमानुसार प्रदर्श डाले गये। अतः औपचारिक साक्षीगण

को साक्ष्य में आहूत किये जाने की आवश्यकता नहीं रही, फलस्वरूप साक्ष्य अभियोजन समाप्त किया गया।

6. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों का गलत होना कहा, गवाहान द्वारा दिये गये बयान को सही बताया एवं सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने का कथन किया।

7. न्यायालय द्वारा विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि अभियुक्तगण द्वारा घ ाटना की तिथि व समय पर वादिनी के विवाह के उपरांत वादिनी के साथ क्रूरता का व्यवहार कर गाली गलौज कर मारपीट कर अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये नकद की मांग की।

9. अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को सिद्ध करने हेतु बतौर पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा अफसाना को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि उसका विवाह दिनांक 22.12.2016 को मो0 तालिब के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी, शादी के कुछ समय उसके ससुराल वाले ससुर अब्दुल बशीर, सास फातिमा बेगम व नन्द फूल बी व जेठ आरिफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और दहेज में एक लाख रूपये मांग करने लगे और आये दिन उसके साथ गालौज कर मारपीट करने लगे। साक्षी ने पत्रावली में शामिल तहरीर प्रदर्श क–1 डाला गया।

10. बचावपक्ष की ओर से जिरह में सशपथ कथन किया है कि उसका अपने पति से घरेलू बातों को लेकर हल्का फुल्का मन मुटाव होने के कारण अपने मायके चली आयी थी, अभियुक्तगण मो0 तालिब, अब्दुल बशीर, फातिमा बेगम, फूलबी तथा मो0 आरिफ ने न तो उससे कभी दहेज की मांग किया, न ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया न ही मारपीट कर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। दरोगाजी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। अभियोजन की ओर से जिरह में धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान से भी इनकार किया।

11. अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को सिद्ध करने हेतु बतौर साक्षी पी0डब्लू0–2 इस्तियाक को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि उसकी बहन अपसाना की शादी दस वर्ष पहले तालिब के साथ हुई थी, शादी के बाद अपसाना और तालिब के बीच मतभेद होने के कारण अपसाना अपने मायके आ गयी थी, कुछ दिन बाद उनका आपस में समझौता हो गया था, दहेज मांगने और मारपीट के बारे में उसे कुछ नहीं पता। अभियोजन की ओर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराया गया एवं जिरह की गयी जिसमें साक्षी ने घ ाटना का इनकार करते हुए धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान से भी इनकार किया है।

12. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी0 डब्लू0 1 वादिनी मुकदमा अपसान ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है परन्तु जिरह में विपरीत बयान देते हुए घटना के कथानक का समर्थ नहीं किया है एवं साक्षी पी0डब्लू0 2 इस्तियाक ने मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों घटना का से इनकार किया है एवं पक्षद्रोही साक्षी है। न्यायालय के मत में किसी भी अन्य साक्षीगण को अभियोजन पक्ष की ओर से इसलिए परीक्षित नहीं कराया गया है कि यदि वह उन्हें परीक्षित कराते तो साक्षीगण अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करते। इसलिए मात्र अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार किये जाने के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि तथ्य के साक्षी के द्वारा अभियोजन की कथित घटना को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित न की जाए।

13. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक व्यवस्था **2017(1) सुप्रीम 129 भगवान जगन्नाथ मार्कड बनाम महाराष्ट्र राज्य** में प्रतिपादित सिद्धांत में सुसंगत है "It is acceptable principle of criminal jurisprudence that the burden of proof is always on the prosecution and the accused is presumed to be innocent unless proved guilt- The prosecution has to prove its case beyond

reasonable doubt and the accused is entitled to the benefit of reasonable doubt-"

14. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उपरोक्त विवेचना विश्लेषण के दृष्टिगत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। जिससे साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के हकदार है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण को संदेह का लाभ प्रदत्त करते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

<u>आदेश</u>

15. अभियुक्तगण **मो0 तालिब, अब्दुल बशीर व फातिमा बेगम** को फौजदारी वाद सं0–801 सन 2019, मु0अ0सं0–415/2017, थाना–नवाबगंज, जिला बरेली के मामले में धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0, के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बंध पत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते है तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

16. अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में बीस हजार के एक जमानती व इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल किया जाये, जो अपील की अवधि तक यथास्वरूप प्रभावी रहेंगे तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस किये जाने पर अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। अभियुक्तगण के अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने की स्थिति में उनके जमानतनामे एवं निजी बंधपत्र नियमानुसार जब्त किये जाने योग्य होंगे।

(अरूण गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवाबगंज,
बरेली। JO Code-3520

दिनांकः–12.06.2026

उपरोक्त निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(अरूण गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवाबगंज,
बरेली। JO Code-3520

दिनांकः–12.06.2026